

फर्द अहकाम


न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं जिला जयपुर

शक्ती देवी

बनाम जीपाल व अन्य

मुकदमा संख्या- 54/2018

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---------------------------|--|-------------|
| 31/01/24 | क.ज.उप. / पत्रावली पूर्वोद्देशानुसार जागामी दिनांक 12/01/24 को पेश है। | |
| 12/01/24 | क.ज.उप. / प्र.पत्र 0222/24 जपडिवा धारा 151 CPC नियम अन्तर्गत धारा 5 निमाडु अधिनियम को पेश हुआ। प्र.पत्र पर का जवाब न देकर सीधी वदख सुनी गयी। वदख पर गठन किया गया। प्र.पत्र व पत्रावली को उपलोकन किया गया। प्र.पत्र 0222/24 सपडिवा धारा 151 CPC नियम धारा 5 निमाडु अधिनियम को स्वीकार किया जाता है। पत्रावली को वादों पेश करने संबंधी अधिनियम को दिनांक 19/01/24 को पेश है। | |
| 19/01/24 | क.ज.उप. / पत्रावली पूर्वोद्देशानुसार जागामी दिनांक 28/01/24 को पेश है। | |
| 28/01/24 | प्रसाहडिंग ऑफिसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अधिम कार्यवाही हेतु दिनांक 04/03/24 को पेश हो | |
| 04/03/24 | पत्रावली पेश है। न्यायालय को समय समय देगे तक बार-बार असाप-डिलायी गयी। वकिल वादी असाप-डिलायी व वकिल को अनुपस्थित है। अतः पत्रावली अडम धारकी अडम फेरवी में स्वीकार की जाती है। पत्रावली-इफ नम्बर के नक देकर अधिनियम डपड है। | |


 सहायक कलक्टर
 चौमूं जयपुर